KRISHI VIGYAN KENDRA, DHOLPUR

(SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY,JOBNER)

RICCO AREA ONDELA ROAD, DHOLPUR RAJASTHAN - 328001 Ph 05642-240457

Dr. D.R. SHARMA
Sr.Scientist & Head

M- 9461642432
Email-pc.kvk.dholpur@sknau.ac.in

No.F.25(Tender)/SKNAU/KVKDholpur/2018/161-165 Dated 20.06.2018

अल्पकालीन खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, धौलपुर वित्तीय वर्ष 2018–19 में फार्म के कार्य के लिए अस्थाई श्रमिकों , भोजन सप्लायर्स आदि की आवश्यकता है। इसके लिए खुली निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक रजिस्टर्ड फर्म अपनी निविदायें दिनांक 29.06.2018 दोपहर 11.00 बजे तक कार्यालय में जमा करा सकते हैं। निविदायें इसी दिन दिनांक 29.06.2018 उपस्थित निविदादाताओं के सामने दोपहर 2.00 बजे खोली जाऐंगी।

क्र. स.	कार्य विवरण	अनु.लागत	अमानत राशि	कार्य समय सीमा
1.	चौकीदारी कार्य फार्म प्रदर्शन यूनिटों में कार्य आंवला, बेर आर्चर्ड, शेड नेट हाउस, अजोला, वर्मीकम्पोस्ट, मेडीशनल प्लान्ट तथा कृषि कार्य हेतु लेबर व्यवस्था 1. अकुशल श्रमिक 2. कुशल श्रमिक	3.00	6000	31.3.2019
2	कृषि विज्ञान केन्द्र में होने वाले प्रशिक्षणों, कृषक दिवस, किसान मेले, मीटिंग आदि में भोजन व्यवस्था करना।	3.00	6000	31.3.2019

1 निविदा फार्म के साथ अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट कार्यालय में जमा कराना होगा।

2 निविदा फार्म 500/–जमा कर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नियम व शर्तें फार्म के साथ रहेंगे।

3 अपलोड निविदाफार्म भरनेपर निविदा फार्म का शुल्क रु. 500/– का डीडी/बी.सी पृथक से जमा कराना होगा।

Sr. Scientist & Head

प्रतिलिपि

1 निदेशक,प्रसार शिक्षा निदेशालय ,श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।

2 ईचांर्ज, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेज कर लेख है कि निविदा विश्वविद्यालय वेबसाइट एव SPPP Portal पर अपलोड करने का श्रम करें ।

3 सूचना पट्ट कृषि विज्ञान केन्द्र, धौलपुर ।

4 सूचना पट्ट पंचायत समिति, धौलपुर

5 कोश कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

6 रक्षित पत्रावली ।

Sr. Scientist & Head

Sr. Scientist and Head
Krishi Vigyan Kendra
Dholpur (Raj.)

(1)

(लिफाफा न. 1में रखे)

कृषि विज्ञान केन्द्र, धौलपुर
औंडेला रोड रीको एरिया , धौलपुर फोन नं. 05642–240457
समस्त योजनाओं के अन्तर्गत, शिविरों हेतु भोजन व्यवस्था
तकनीकी निविदा प्रपत्र 2018–19

फर्म का नाम व पता मय दूरभाष :– ....

1. बोली प्रतिभूति राशि डी.डी. सं/ बी.सी.सं0....................दिनांक .... राशि 6000/–
2. पेन नं. ....
3. जी.एस.टी./टिन नं. ....
4. राजस्थान खाद्य मिलावट निरोधक नियम 1957 के तहत धारिक अनुज्ञापत्र की छायांप्रति।
5. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
6. सफल निविदादाता को 500/– रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा ।
7. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।
8. निविदादाता को भोजन परोसने एवं खाना बनाने के बर्तन आदि की समस्त व्यव्था स्वयं की होगी एवं खाना कृषि विज्ञान केन्द्र पर ही तैयार करना होगा।
9. बिल का भुगतान कार्य पूरा होने के पश्चात कोष कार्यालय जोबनेर से पास होने के बाद किया जावेगा।
10. प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत/ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किये जा सकते हैं।
11. भोजन एवं अल्पाहार की गुणवत्ता मानक स्तर की होनी चाहिये, संदेह होने पर स्वास्थ्य विभाग से सेम्पल परीक्षण करवाया जा सकता है।
12. **निविदा दिनांक 29.06.2018 को दोपहर 2.00 बजे खोली जावेगी।**
13. निविदा सील बन्द लिफाफे में कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
14. कमेटी द्वारा पहले तकनीकी निविदा के लिफाफे खोले जायेंगे। तकनीकी निविदा सफल होने वाले निविदादाता के ही वित्तीय निविदा के लिफाफे खोले जायेंगे।
15. यदि ठेकेदार कार्यालय मेस या कमरा उपयोग लेना चाहता है तो उसे नियमानुसार बिजली का बिल तथा रेंट जमा कराना होगा।
16. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र धौलपुर रहेगा।
17. अमानत राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

18. तकनीकी निविदा लिफाफे में जीएसटी / टीन प्रमाण–पत्र , राज. खाद्य मिलावट निरोधक अनुज्ञा पत्र, बोली प्रतिभूति रु. 6000 / – का डीडी / बी.सी. संलग्न करना है।

19. अनुभव प्रमाण–पत्र यदि कोई हो तो संलग्न करें।

20. के.वी.के. प्रशिक्षणों की अवधि के अलावा यदि ठेकेदार या उसका कोई आदमी यहाँ रुकता है तो रु. 50 प्रति व्यक्ति दिन के हिसाब से चार्ज देय होगा।

21. लाइट का भुगतान रु. 10 / – प्रति यूनिट के हिसाब से करना होगा।

22. अनुबंध अवधि दिनांक31.3.2019 तक मान्य रहेगी जो संतोषजनक सेवाए होने पर नियमानुसार बधाई जा सकेगी।

1. योजना का नाम : i. **ICAR PLAN, RKVY,ATMA & Other Head**
2. बजट मद : i. **Recurring Contingency**
3. कार्य की अनुमानित अवधि : वित्तीय वर्ष 2018–19 (31 मार्च 2019)
4. धरोहर राशि : डिमाड ड्राफ्ट बैंकर्स चैक द्वारा रूपये कुल धरोहर राशि 15000 / – का 2% (रूपये 6000 / – बोली प्रति के रुप में) निविदा फार्म के साथ शेष निविदा पक्ष में छुटने पर 3% (रूपये 9000 / – कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रुप में)
5. निविदा फार्म की कीमत : रूपये 500 / –
6. निविदा संदर्भ समस्त योजनाओं के अन्तर्गत, शिविरों हेतु भोजन व्यवस्था
7. निविदा प्रपत्र : एक
8. निविदा प्राप्त करने का समय व दिनांक : कार्य दिवस एवं दिनांक 29.6.18 को दोपहर 10 बजे तक
9. निविदा खोलने का दिनांक , समय एवं स्थान : 29/06/2018 दोपहर 2.00 बजे, कृषि विज्ञान केन्द्र, धौलपुर
10. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : 29.06.2018 सुबह 11.00 बजे तक
11. निविदा खोलने की तिथि : 29.06.2018
12. पत्र व्यवहार हेतु पता : कृषि विज्ञान केन्द्र रीको इंडस्ट्रियल एरिया, धौलपुर
13. फर्म काली सूची में नहीं है का घोषणा पत्र रु. 100 / – के स्टाम्प पेपर पर ।

D. R. Sharma

कार्यक्रम समन्वयक
के.वी.के., धौलपुर

हस्ताक्षर निविदादाता

(3)

(लिफाफा न. 2में रखे)

कृषि विज्ञान केन्द्र, धौलपुर

आँडेला रोड रीको एरिया , धौलपुर फोन नं. 05642–240457

समस्त योजनाओं के अन्तर्गत , शिविरों हेतु भोजन व्यवस्था

वित्तीय निविदा प्रपत्र 2018–19

फर्म का नाम ....

क्र. सं.	मीनू विवरण	*Without GST with service Catring (Rate)*	*GST %*	GST Amt.	*With GST Service Catring (Rate)*
1	2	*3*	*4*	5	(3+5) 6
1	मीनू–1 एक दिवसीय प्रशिक्षण (गैरआवासीय) नाश्ता– कचौड़ी दो नग / पकौड़ी– जलेवी एवं चाय लंच – दाल, एक सब्जी सीजनल , चावल, रोटी / पूड़ी, अचार, सलाद एवं मिठाई एक नग (भरपेट)	Rs. .... (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)			Rs. .... (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)
2	मीनू –2 आवासीय प्रशिक्षणों के लिये । नाश्ता– कचौडी दो नग / समोसा / पोहे / पकौडी एवं जलेबी एवं चाय सुबह–शाम लंच – दाल / राजमा, एक सब्जी सीजनल, चावल, रोटी / पूडी, रायता, सलाद एवं मिठाई (भरपेट) डिनर– दाल, एक सब्जी सीजनल, सलाद, रोटी, चावल (भरपेट)	Rs. .... (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)			Rs. .... (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)
3	मीनू –3 नाश्ता– कचौड़ी दो नग / समोसा / पोहे / ब्रेड पकौड़ा / पकौडी मिठाई (जलेबी / हलुआ) चाय दोनो समय सुबह–शाम लंच – रोटी सादा एवं मिस्सी (देशी घी से चुपडी) दाल फ्राई,मटर पनीर ,एक सब्जी सीजनल ,चटनी, रायता, अचार, पापड, खीर / मिठाई, सलाद (भरपेट) अथवा दाल,बाटी, चूरमा, चटनी, बेसन गट्टे, सलाद (भरपेट) डिनर– दाल एक सब्जी सीजनल,सलाद, रोटी एवं चावल (भरपेट)	Rs. .... (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)			Rs. .... (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)
4	मीनू –4 लंच पेकिट – सब्जी आलू छोले की, 12 पूड़ी, अचार, सलाद एवं एक नग बून्दी लडडू ।	Rs. .... (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)			Rs. .... (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)

नोटः–

1. दरें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से देनी होगी ।
2. पानी एवं सफाई की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।

D.R. Sharma

कार्यक्रम समन्वयक
के.वी.के., धौलपुर

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

(2)

(लिफाफा न. 1में रखे)

कृषि विज्ञान केन्द्र, धौलपुर
औंडेला रोड रीको एरिया , धौलपुर फोन नं. 05642–240457
श्रमिक आपूर्ति
तकनीकी निविदा प्रपत्र 2018–19

निविदादाता फर्म का नाम व पता मय दूरभाष :– ....

1. बोली प्रतिभूति राशि डी.डी.सं./ बैंकर्स चैक सं.............................. दिनांक .... राशि..................
2. जी.एस.टी.. ....
3. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
4. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
5. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
6. सफल निविदादाता को 500/– रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा।
7. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा
8. निविदा सील लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
9. श्रमिकों को कृषि कार्य के हेतु जैसे निराई/गुड़ाई/कटाई/सिंचाई/ दवाईयों का छिड़काव/ थ्रेसिंग कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
10. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात कोष कार्यालय जोबनेर से पास होने के बाद किया जावेगा।
11. निविदा दिनांक **29.06.2018** को दोपहर **2.00** बजे क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
12. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र धौलपुर रहेगा।
13. धरोहर राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
14. Registration of Labour Department (Photo Copy)
15. Registration of GST, ESI & EPF (Photo Copy)
16. PAN No. ....(Photo Copy)
17. Experience of two year in Rajasthan Govt. Department
18. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।
19. अपलोड निविदाफार्म भरनेपर निविदा फार्म का शुल्क रु. 500/– का डीडी/बी.सी पृथक से संलग्न करें।

(लिफाफा न.1में रखे)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न कृषि कार्यो हेतु श्रमिक आपूर्ति एवं ड्राईवर आपूर्ति हेतु निविदा।

1. योजना का नाम : i. **Revolving found & ICAR PLAN** ii. कृषि विज्ञान केन्द्र फार्म के कार्य **(Revolving found)**
2. बजट मद : i. **Recurring Contingency** ii. **Revolving found**
3. कार्य की अनुमानित अवधि : वित्तीय वर्ष 2018–19 (31 मार्च 2019)
4. धरोहर राशि : डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक द्वारा रूपये कुल धरोहर राशि 15000/– का 2% (रूपये 6000/–बोली प्रतिभूति के रुप में) निविदा फार्म के साथ शेष निविदा पक्ष में छुटने पर 3% (रूपये 9000/– कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रुप में)
5. निविदा फार्म की कीमत : रूपये 500/–
6. निविदा संदर्भ : कृषि कार्यो हेतु अकुशल श्रमिक एवं कुशल श्रमिक/ ड्राईवर आपूर्ति
7. निविदा प्रपत्र : एक
8. निविदा प्राप्त करने का समय व दिनांक : प्रत्येक कार्य दिवस एवं दिनांक 29.6.18 को प्रातः 10.00 बजे तक
9. निविदा खोलने का दिनांक व समय : 29/06/2018 दोपहर 2.00 बजे, कृषि विज्ञान केन्द्र, धौलपुर
10. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि : 29.06.2018 दोपहर 11.00 बजे
11. पत्र व्यवहार हेतु पता : कृषि विज्ञान केन्द्र रीको इंडस्ट्रियल एरिया, धौलपुर
12. फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूचि में नहीं है , 100रु. के स्टॉम्प पेपर पर देवें।
13. दरें प्रपत्र–2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न कृषि कार्यो हेतु अकुशल श्रमिक एवं कुशल ड्राईवर आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा। संलग्न लिफाफा नं. 1 में रखें।)

क्रस.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्लक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षरमय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

(लिफाफा न.1में रखे)

निविदा की शर्तें:–

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग हेतु अर्हत होगें। पंजीकृत प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेजात के साथ संबधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सबधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बावत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबधित संवेदक का होगा।

5. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी में श्रम विभाग कर अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदकों को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

7. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

8. संवेदक द्वारा श्रमिकों के देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा करायें गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु सेवा कर ,ळैज्द्ध का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु सेवा कर (GST) के सबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

9. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उननियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

10. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5)

11. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

12. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के सबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई.करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

14. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजूदरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

15. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

16. प्रस्तावित निविदा फार्म मुहरबन्द में कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द्र धौलपुर को लिफाफे के ऊपर निविदा "कार्य अनुबन्ध" लिखकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा फार्म निविदा की दरों में किसी भी प्रकार की काट–छोंट स्वीकृत नहीं की जायेगी।

17. निविदादाता (ठेकेदार) निविदा फार्म प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही निविदा फार्म प्रस्तुत करें। निविदा फार्म के लिए बोली प्रतिभूति राशि रू0 6000/–का 2% (रूपये /–) शेष निविदा पक्ष में छुटने पर 3% (रूपये /–) जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। इस कार्य की अनुमानित लागत 3.00 लाख रूपये है।

18. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का लाईसेंस होना आवश्यक है जो निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा, बिना लाईसेंस के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

19. निविदादाता को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक श्रमिकों का भुगतान करना होगा चाहे बिलों का भुगतान प्राप्त किया हो या नहीं। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम दरों (वेतन) से कम भुगतान नहीं करना होगा।

20. अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगी। संतोषजनक सेवाए होने पर नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

21. किसी भी नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु) व 55 साल से ज्यादा आयु एवं कार्य करने में असक्षम व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।

22. निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। श्रमिकों का व्यवहार एवं कार्य असंतोषजनक पायें जाने पर तुरंत प्रभाव से हटाना होगा।

23. निविदादाता को अपना आई.डी.प्रूफ व मोबाइल नं. इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

24. विभिन्न कार्यों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार विभागध्यक्ष/फार्म इंचार्ज/फार्म मैनेजर, शस्य वैज्ञानिक या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा मनोनीत व्यक्ति तय करेंगें और उसी आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करा कर कार्य का निष्पादन कराया जायेगा। ठेकेदार को रात्रि में फसलों की सिंचाई व अन्य कार्य जैसे चौकीदारी आदि केवल पुरूष श्रमिकों से ही करवाना होगा।

(6)

25. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में कृषि अनुसंधान केन्द्र में उपस्थित रहना होगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिकों की संख्या व दिनांक कृषि अनुसंधान केन्द्र के सबंधित व्यक्तियों द्वारा फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होने व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होगें।

26. भुगतान केवल किये गये कार्य का ही किया जायेगा तथा किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए कार्य की समय अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

27. यदि निविदादाता (ठेकेदार) द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सबंधित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि कृषि अनुसंधान केन्द्र उसकी अमानत में से पैनल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तो को न मानने पर ठेकेदार को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

28. यदि निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

29. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि, प्रायोगिक कार्य, चौकीदार आदि कार्यो की महत्ता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो कृषि अनुसंधान केन्द्र उन शेष कार्यो को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेगें जिसका भुगतान द्वारा जमा अमानत राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि 3 बार पुनरावृति होती है तो कृषि अनुसंधान केन्द्र को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

30. सफल निविदादाता को उपरोक्त सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने सबंधी एक अनुबंध पत्र 500/-रू. का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर ठेकेदार द्वारा भरना अनिवार्य होगा।

31. ड्राईवर के पास वाहन चलाने का लाईसेंस होना अनिवार्य है।

32. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, धौलपुर को होगा।

उकत निविदा की शर्तो को मैनें भली-भांति पढ़ लिया है और समझ लिया है, मै इनसे सहमत हूँ और इनका पालन करूँगा।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

(लिफाफा न.2 में रखे)

कृषि विज्ञान केन्द्र, धौलपुर

ऑंडेला रोड रीको एरिया , धौलपुर फोन नं. 05642–240457

श्रमिक आपूर्ति

वित्तीय निविदा प्रपत्र 2018–19

(II)- श्रमिक आपूर्ति के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

क्रस.	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या				EPF दर प्रतिशत (13.36%)	ESI दर प्रतिशत (4.75%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन की अनुमानित संख्या (1350)	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर					
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		अकुशल	213						
2		कुशल /ड्राईवर	233						

* ESI दर यदि धौलपुर मे देय है तो उपापन संस्था द्वारा दिया जायेगा।

*धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्र में आने पर ईपीएफ एवं ईएसआई तदनानुसार संशोधित दर पर दी जावेगी।

Note: GST दर नियमानुसार देय होगी।

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां सबंधित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेगी)

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर